संख्या-26/001/66डब्लू-26-27-3099-217-2023

प्रेषक,

**सिद्धाशरण पाण्डेय**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2026

**विषयः प्रथम अपील एफ0ए0एफ0ओ0-2266/2019 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मे0 बब्बन सिंह में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 के अनुपालन हेतु धन की मांग के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-154/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/बाणसागर, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-5, मीरजापुर से संबंधित प्रथम अपील एफ0ए0एफ0ओ0-2266/2019 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मे0 बब्बन सिंह में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 2,49,00,880.00 (दो करोड़ उन्चास लाख आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

**4-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,49,00,880.00 (दो करोड़ उन्चास लाख आठ सौ अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विन्ध्याचल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।

(7) मुख्य अभियन्ता (बाणसागर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।

(8) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) कोषाधिकारी, मीरजापुर।

(10) अधीक्षण अभियन्ता, बाणसागर नहर निर्माण मण्डल-2, मीरजापुर।

(11) अधिशासी अभियन्ता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-5, मीरजापुर।

(12) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(15) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।